न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।
पीठासीन अधिकारी : शिव कुमार सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
JO CODE- UP 5743
सत्र परीक्षण सं0–536/2022
कम्प्यूटर पंजीकरण ंख्या–3250/2022
CNR UPLP 0100 6721 2022

राज्य उ0प्र0 ————————————अभियोजन पक्ष।

बनाम

1–आशीष गुप्ता उर्फ अंशू पुत्र आशाराम गुप्ता निवासी बालूडीह, थाना कोतवाली सदर, जनपद लखीमपुर खीरी।
2–उमेश मिश्रा पुत्र स्व0 राधन मिश्रा निवासी ग्राम खमरिया थाना ईसानगर, जनपद लखीमपुर खीरी।
3–राजेश उर्फ रजनीकान्त तिवारी उर्फ पुस्सू पुत्र तीरथराज निवासी चौफेरी थाना खीरी, जनपद लखीमपुर खीरी।
4–अतुल गुप्ता पुत्र पुरूषोत्तम लाल गुप्ता निवासी खमरिया पण्डित, थाना ईसानगर, जनपद लखीमपुर खीरी।
5–दीपक गुप्ता उर्फ दीपू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी मकान नं0–370 मो0 बहादुरनगर चौकी बस स्टाफ के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद लखीमपुर खीरी।

————————————अभियुक्तगण।

मु0अप0सं0–230/2022
धारा–120बी सहपठित धारा 302, 302/34, 201 भा0द0सं0
थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता–श्री अरविन्द त्रिपाठी

विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता–श्री अखिलेश सिंह, एड0

मृतक का नाम–प्रबोध कुमार गुप्ता

घटना की तिथि–30.04.2022

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की तिथि–अभियुक्तगण आशीष गुप्ता उर्फ अंशू व अतुल गुप्ता दिनांक 04.05.2022, अभियुक्त उमेश मिश्रा दिनांक 05.05.2022, अभियुक्त दीपक गुप्ता उर्फ दीपू दिनांक 07.05.2022, अभियुक्त राजेश उर्फ रजनीकान्त तिवारी उर्फ पुस्सू दिनांक 06.05.2022

सत्र सुपुर्द की तिथि–07.09.2022

आरोप विरचित किये जाने की तिथि–19.11.2022

अभियोजन साक्ष्य अंकित किये जाने की तिथि–दिनांक 24.04.2023 से 05.05.2026

अभियुक्तगण के बयान अंकित किये जाने की तिथि– 02.06.2026

बहस की तिथि–04.06.2026

निर्णय की तिथि–12.06.2026

''निर्णय''

1. अभियुक्तगण आशीष गुप्ता उर्फ अंशू, उमेश मिश्रा, राजेश उर्फ रजनीक. ान्त तिवारी उर्फ पुस्सू, अतुल गुप्ता, दीपक गुप्ता उर्फ दीपू का मुकदमा अपराध सं0–230/2022, थाना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी के मामले में भा0द0स0 की धारा 120बी सहपठित धारा 302, 302/34, 201 के अपराध का विचारण किया गया।

2. मामले के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा गया प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 बदलूराम गुप्ता निवासी ग्राम बालूडीह, थाना कोतवाली लखीमपुर, जिला खीरी द्वारा दिनांक 01.05.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना धौरहरा को सम्बोधित लिखित तहरीर प्रस्तुत करके, प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि–

'निवेदन है कि प्रार्थी गया प्रसाद पुत्र स्व0 बदलूराम गुप्ता निवासी ग्राम बालूडीह, थाना कोतवाली लखीमपुर, जिला खीरी का है। मेरा भाई प्रबोध कुमार गुप्ता जो कल दिनांक 30.04.2022 की रात लगभग 10 बजे घर से सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर निकला था जो रात 12 बजे तक घर वापस नही आया हम लोग अपने भाई को तलाश करने लगे तो हम लोगो को पता चला कि मेरे भाई व आशीष गुप्ता से प्रापर्टी का विवाद चल रहा था उसी विवाद के कारण आशीष गुप्ता ने अपने साथी उमेश मिश्रा निवासी खमरिया व राजेश निवासी नकहा व एक व्यक्ति और नाम पता अज्ञात के साथ मिल कर मेरे भाई को घर के पास से पकड़ कर मार पीट कर हत्या करके लाश को जटपुरवा गांव के सामने सड़क पर थाना क्षेत्र धौरहरा मे फेंक दिया है मौके पर आकर हम लोगो ने देखा तो मेरे भाई प्रबोध कुमार की हत्या धारदार हथियार से वार करके की गयी है। लाश मौके पर पड़ी है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त सूचना दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

3. उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध सं0–230/2022 अंतर्गत धारा 302, 201, 34 भा0द0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.05.2022 को समय 14.24 बजे आशीष गुप्ता, उमेश मिश्रा, राजेश व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात मे दर्ज की गयी। मामले का इन्द्राज थाने की जी0डी0 में तत्काल जी0डी0 रपट सं0–20 समय 14:24 पर किया गया एवं विवेचना हेतु मामला निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला को सुपुर्द किया गया।

4– दिनांक 01.05.2022 को मृतक के शव का पंचायतनामा तैयार किया गया

तथा मृतक के शव के अन्त्य परीक्षण से संबंधित प्रपत्र चिट्टी प्रतिसार निरीक्षक, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी, नमूना मुहर, फोटोनाश, पुलिस प्रपत्र 13 आदि तैयार कर शव को अन्त्य परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय लखीमपुर भेजा गया। मृतक के शव का अन्त्य परीक्षण दिनांक 01.05.2022 को समय 05:00 पी0एम0 पर किया गया। अन्त्य परीक्षण के समय मृतका के शरीर पर मृत्युपूर्व निम्न चोट पायी गयी–

1-Incised wound 7cm x 1cm x Bone deep over top of head underline both parital bone found cut also membrane and brain found cut and 50 clotted and fluid blood present in cranial cavity.

2-L.W. 5cm x 2cm x bone deep over back of head underline occipital bone found fractured.

3-Incised wound 2cm x 1cm x bone deep over back of head, 2cm below injury No.2.

4-Incised wound 2cm x 0.5cm x bonedeep over right side back of head, 4cm behind right ear.

5-Abraded Contusion 25cm x 18cm over both side of face, forehead and head underline all facial bone and skull bone and both of skull found fractured, membrane and brain found lacerated.

6-Abraded Contusion 40cm x 30cm over frond of chest and abdomen on dissection underline all ribes on both side are fractured Both plura, both lungs, peritorium, liver found lacerated and 1 liter clotted and fluid blood found in chest and abdomen cavity.

7-Abraded contusion 40cm x 1cm over right forearm, arm and elbow,

8-Abraded contusion 38cm x 30cm over back of chest and abdomen.

9-L.W. 3cm x 3cm bone deep over back of right elbow.

10-Incised wound 5cm x 1cm bone deep over right elbow underline frontal bone found cut.

11-Abraded contusion 4cm x 4cm over front of right knee.

12-Abraded contusion 6cm x 4cm over front of left knee.

अन्त्य परीक्षण आख्या में मृतक की मृत्यु का कारण death is due to shock & haemorrhage as a result of anetmartem injuries. अंकित है।

5. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा नकल तहरीर, नकल रपट, बयान चिक लेखक तथा वादी मुकदमा का बयान केस डायरी में अंकित करने के उपरान्त फर्द कब्जा लेने खूना लूद व सादी मिट्टी तथा 5 अदद शर्ट की टूटी बटन मृतक के शव के पास से, फर्द कब्जा मे लेने वाहन स्विफ्ट डिजायर संख्या यू0पी032जीजेड–0022, फर्द कब्जा मे लेने दो लाख रूपए, फर्द बरामदगी आलाकत्ल एक अदद लोहे का राड व एक अदद खुखरी तथा पचास हजार रूपए, तैयार किया तथा वादी मुकदमा की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके, नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचना की समस्त औपचारिकताए पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्तगण उमेश मिश्रा, राजेश उर्फ रजनीकान्त तिवारी उर्फ पुस्सू के विरूद्ध अभियोजन चलाए जाने हेतु पर्याप्त सामग्री पाते हुए भा0द0सं0 की धारा 302, 201, 34 व अभियुक्तगण आशीष गुप्ता उर्फ अंशू, अतुल गुप्ता व दीपक गुप्ता के विरूद्ध भा0द0सं0 302, 120बी, 34 के अपराध का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

6. उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 26.05.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा धारा 207 द0प्र0सं0 का अनुपालन करने के उपरान्त मामला अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय पाते हुए दिनांक 07.09.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी, जिसे सत्र परीक्षण सं0–536/2022 के रूप में दर्ज किया गया।

7. दिनांक 19.11.2022 को तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी ने अभियुक्तगण आशीष गुप्ता उर्फ अंशू, अतुल गुप्ता व दीपक गुप्ता उर्फ दीपू के ऊपर भा0द0सं0 की धारा 120बी सहपठित धारा 302 के अपराध का व अभियुक्तगण उमेश मिश्रा, राजेश उर्फ रजनीकान्त तिवारी उर्फ पुस्सू के ऊपर भा0द0सं0 की धारा 302 सहपठित धारा 34 व 201 के अपराध का आरोप विरचित किया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपो को सुनकर अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

8. अपने पक्ष कथन के समर्थन में अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा गया प्रसाद, पी0डब्लू0–2 विपिन गुप्ता, पी0 डब्लू0–3 आदित्य गुप्ता, पी0डब्लू0–4 डा0 प्रद्युम्न कुमार शुक्ला, पी0डब्लू0–5 ओमकार गुप्ता, पी0डब्लू0–6 इन्साफ अली निरीक्षक, पी0डब्लू0–7 उप निरीक्षक नरसिंह, पी0डब्लू0–8 निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला को परीक्षित कराया गया है।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में, शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क–2 के रूप में, पंचायतनामा को प्रदर्श क–3 के रूप मे, पुलिस फार्म 379 को प्रदर्श क–4 के रूप में, पुलिस प्रपत्र 13 को प्रदर्श क–5 के रूप में, चिट्ठी सी0एम0ओ0 को प्रदर्श क–6, चिट्ठी आर0आई0 को प्रदर्श क–7 के रूप में, नमूना मोहर को प्रदर्श क–8 के रूप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–9 के रूप में, कायमी जी0डी0 को प्रदर्श क–10 के रूप में, फर्द कब्जा लेने खूनालूद व सादी मिट्टी व 5 अदद शर्ट की टूटी बटन को प्रदर्श क–11 के रूप में, नक्शानजरी को प्रदर्श क–12, प्रदर्श क–13 व प्रदर्श क–15 के रूप में, फर्द कब्जा मे लेने वाहन को प्रदर्श क–14 के रूप मे, फर्द कब्जा मे लेने दो लाख रूपए को प्रदर्श क–16 के रूप मे, आरोप पत्र को प्रदर्श क–17 के रूप में साबित कराया गया है।

10. दिनांक 02.06.2026 अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने मुख्य रूप से अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अपने विरूद्ध कही गयी बातों को अस्वीकार किया तथा रंजिशन फंसाए जाने का कथन किया।

11. अभियुक्तगण की ओर से अपनी सफाई में कोई भी मौखिक या प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

12. मैने उ0प्र0 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

13. चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 302/120बी, 201, 34 के अपराध का आरोप विरचित किया गया है इसलिए भा0द0स0 की धारा 300, 302, 201 को उद्धृत किया जाना आवश्यक है।

धारा 300 भा0द0स0–हत्या–

एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरी– यदि वह शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गयी है, अथवा

तीसरी– यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिससे कारित करने का आशय हो,

प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथी– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि यह कार्य इतना आ. सन्नसंकट है कि पूरी अभिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

धारा 302 भा0द0सं0–हत्या के लिए दण्ड–

जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना–

जो कोई यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है।

धारा 120बी भा0द0सं0–आपराधिक षडयंत्र का दण्ड–(1) जो कोई मृत्यु, आ. जीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दण. डनीय अपराध करने के आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दण्ड के लिए इस संहिता मे कोई अभिव्यक्त उपलब्ध नही है, तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दण्डनीय अपराध को करने के आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा, वह दोनो मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा।

14. अब न्यायालय को देखना है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण आशीष गुप्ता उर्फ अंशू, अतुल गुप्ता, दीपक गुप्ता उर्फ दीपू, उमेश मिश्रा व राजेश उर्फ रजनीकान्त उर्फ पुस्सू के विरूद्ध लगाया गया आरोप कि दिनांक 30.04.2022 को समय 23:59 बजे अभियुक्तगण उपरोक्त ने मिलकर आपराधिक षडयंत्र के तहत सामान्य आशय के अग्रसारण मे वादी मुकदमा गया प्रसाद के भाई प्रबोध कुमार गुप्ता की हत्या करके मृतक के शव को अपराध के साक्ष्य का विलोपन करने के आशय से जटपुरवा गांव के सामने सड़क पर डाल दिया, को

युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

15. पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा गया प्रसाद गुप्ता ने दिनांक 24.04.2023 को न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान किया है कि घटना दिनॉक–30.04.2022 की रात 10:00 बजे उसका भाई प्रबोध कुमार गुप्ता सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर निकला था। जब वह 12:00 बजे तक घर नहीं लौटा तो उन लोगों को उसकी चिंता हुयी कि अभी तक वापस नहीं आया। वे लोग उसकी तालाश इधर–उधर करना शुरू कर दिया, उसके दोस्तों व रिश्तेदारों को फोन से सम्पर्क किया किन्तु उसका कोई पता नहीं चला, फिर दूसरे दिन सुबह उन लोगों ने पुनः तलाश करना शुरू किया तो महेवागंज के लोगों द्वारा जानकारी हुयी कि वादी का भाई प्रबोध कुमार गुप्ता, आशीष कुमार गुप्ता के साथ कहीं रात में जा रहा था। पुलिस चौकी महेवागंज में प्रबोध कुमार गुप्ता के संबंध में सूचना देने जा रहे थे तो एक राहगीर ने बताया कि एक डेडबाडी जटपुरवा गॉव के बाहर पड़ी है। सूचना पाकर वादी, उसका लड़का विपिन, भतीजा सैजल तथा पड़ोस के लोगों के साथ जटपुरवा पहुॅचा तो उसने अपने भाई प्रबोध कुमार गुप्ता की लाश को पहचान लिया। उसके भाई के सिर व शरीर में काफी गंभीर चोटों थी। उसके बाद वह थाना धौरहरा गया था और वहॉ घटना के संबंध में तहरीर दी थी। उसको साथ में लेकर दरोगा जी घटनास्थल पर गये थे और मौके पर ही उसके सामने पंचनामा भरा गया था। पंचनामा का उसे गवाह नियुक्त किया गया था। कागज सं0–क7 देखकर गवाह ने कहा यह वही पंचनामा है, जो उसके सामने भरा गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना की तहरीर 01.05.2022 को थाना धौरहरा पर दिया था, कागज सं0–क4/7 देखकर वादी ने कहा, यह वही तहरीर है, जिसे उसने थाना धौरहरा पर दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह तहरीर उसने बोल–बोल कर एक अज्ञात व्यक्ति से थाने के बाहर लिखवाई थी।

इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के निम्न अंश की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। मृतक अविवाहित था। मृतक उसका सगा छोटा भाई था। घटना वाले दिन मृतक ने उसके सामने खाना नही खाया था, उसे यह भी नही मालूम कि मृतक खाना खाकर गया था या नही। मै 9 बजे के बाद घर के अन्दर गया था। उसके घर के सामने भीरा–लखीमपुर सड़क के पूरब पान, बीड़ी, सिगरेट के खोखे है, चाय की दुकान है ओर होटल है जो देर रात तक खुला रहता है जब वह घर के अन्दर गया तब मृतक उसके सामने लगभग 10 बजे घर से

चला गया था। मृतक पैंट शर्ट पहन कर गया था, पैंट नीले जैसे कलर की जीन्स थी, शर्ट का कलर उसे ध्यान नही है। मृतक बोल कर गया था कि वह सिगरेट पीने जा रहा है। घटना के समय ईद का समय था, दुकाने 10—11 बजे तक खुली रहती थी वह 10—11 बजे दुकान बंद कर घर गया था 12 बजे तक मृतक घर वापस नही आया तब वह घर से निकल कर सड़क के पूरब आया खोखों के पास आया, खोखे बंद हो रहे थे, होटल बंद हो रहा था या नही उसे ध्यान नही है। उसने लोगो से मृतक के बारे मे पूछां तो लोगो ने कहा हम मृतक प्रबोध के बारे मे नही जानते है, दोस्तो व रिश्तेदारो को फोन किया लेकिन उनका कोई पता नही चला। आशीष गुप्ता भी मेरा पड़ोसी है। आशीष गुप्ता को भी यह होटल और खोखा वाले जानते है। सुबह सूरज निकलने के बाद उसने फिर लोगो से मृतक प्रबोध के बारे मे पता करना शुरू किया। सुबह लगभग 6 बजे वह पुलिस चौकी महेवागंज गया था। पुलिस वालो को बताया था कि उसका भाई प्रबोध कुमार गुप्ता मृतक बीती रात 10 बजे से गायब है और उसका पता नही चल रहा है। उसने पुलिस वालो से बताया था कि उसका भाई उसका भाई आशीष गुप्ता के साथ रात मे जा रहा था, यह बात महेवागंज के लोगो ने उसे बतायी थी, तब पुलिस वालो ने कहा था कि तहरीर लिखकर लाओ तब वह चौकी से बाहर निकला सोंचा कि किसी से तहरीर लिखवा ले तभी किसी राहगीर ने बताया कि जटपुरवा के पास लाश पड़ी है, जाकर देख लो। महेवागंज से जटपुरवा लगभग 33 किमी0 दूर है उसने पुलिस वालो से बताया था कि राहगीर ने जटपुरवा मे शव की सूचना दी है, इस पर पुलिस वालो ने कहा कि जाकर शव देख लो, तब वह अपने लड़के विपिन, भतीजे सैजल तथा पड़ोसियों के साथ ग्राम जटपुरवा मोटर साइकिल से पहुॅचा। वह लोग दिनांक 01.05.2022 को दिन मे 11—12 बजे जटपुरवा गांव पहुॅच गए थे शव देखकर उसने पहचान लिया कि प्रबोध का शव है शव गांव के बाहर सड़क पर पड़ा था, जब वह लोग शव के पास मौजूद थे तभी पुलिस वाले आ गए थे पुलिस वालो ने कहा कि यह धौरहरा थाने का क्षेत्र है धौरहरा थाने रिपोर्ट लिखाने जाओ, तुरंत ही लगभग 12 बजे वह थाना धौरहरा चल दिया और लगभग 12:30 बजे धौरहरा थाना पहुॅच गया थाना धौरहरा मे दरोगा जी को पूरा हाल बताया जो बात राहगीरो ने बतायी थी वह भी बताया और जो कुछ पता चला था वह सब बताया दरोगा जी ने बाहर से तहरीर लिखवाने को कहा था तब उसने थाने के बाहर एक व्यक्ति से बोल बोल कर तहरीर लिखायी थी रिपोर्ट के नकल पंचनामे के बाद उसे मिल गयी थी। वह दुबारा

थाने नही गया था उसने पंचनामे मे अपनी राय मे आशीष गुप्ता के साथ घटना वाली रात मे प्रबोध गुप्ता के साथ राहगीरो द्वारा देखने वाली बात नही बतायी थी, क्योकि वह पहले बता चुका था। उपरोक्त मौखिक साक्ष्य मे इस साक्षी द्वारा यह कहीं नही कहा गया है कि वह जिस समय मृतक घर से गया था उस समय वह वहां मौजूद था और उसे जाते हुए देखा था, न ही इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण मे से किसी को मृतक के साथ देखने की बात कहीं है और न ही घटना घटित होते देखने की बात कही है।

इसलिए इतना स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है लेकिन लिखित तहरीर प्रमाणित करने के लिए ही इस साक्षी का साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

16. पी0डब्लू0–2 विपिन गुप्ता ने दिनांक 02.11.2023 को न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान किया है कि घटना दिनॉक–30.04.2022 की रात की है, समय उसे याद नहीं है। दिनॉक–01.05.2022 को वह अपने पापा के साथ पु. लिस चौकी महेवागंज सुबह आठ बजे गया था। चौकी के पुलिस वालों ने पापा से कहा था कि पहले ढूढ़ लो फिर 10:00 बजे तक लिखित तहरीर लेकर चौकी आना। उन लोगों ने अपने चाचा प्रबोध गुप्ता की तलाश की, उसके बाद जब चाचा नहीं मिले तब दस बजे के आस–पास जब वह अपने पापा के साथ चौकी महेवागंज जा रहा था तो चौकी के पहले ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि एक लाश जटपुरवा गॉव के पास पड़ी है, जाकर देख लो। इस पर वह, उसके पापा, उसका चचेरा भाई सैजल गुप्ता मोटर साइकिल से जटपुरवा गये थे। वहॉ पर उसके चाचा प्रबोध गुप्ता की लाश मिली थी। उन सबने चाचा की लाश को पहचान लिया था, उसके पीछे–पीछे महेवागंज चौकी की पुलिस गयी थी, लाश मिलने पर महेवागंज पुलिस चौकी के पुलिस वालों ने कहा यह क्षेत्र थाना धौरहरा में आता है, थाना धौरहरा की पुलिस को सूचित करो। इस पर उसके पापा ने थाना धौरहरा में तहरीर दी थी तब पुलिस मौके पर गयी थी और लाश का पंचनामा हुआ था। वह पंचनामा के समय मौके पर मौजूद था। पंचनामा का गवाह उसे भी नियुक्त किया गया था। पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं। मृतक प्रबोध कुमार गुप्ता के सिर व शरीर पर काफी चोटें थी। उनका शरीर खून से लथपथ था। पुलिस ने बताया था कि उसके चाचा प्रबोध कुमार गुप्ता की हत्या आशीष गुप्ता और उनके साढू अतुल गुप्ता व बहनोई दीपक गुप्ता व दो अन्य लोगों ने मिलकर की थी। घटनो के संबंध मे दरोगा जी ने उससे पूछतांछ की थी। साक्षी पी0डब्लू0–2 के उपरोक्त मौखिक

साक्ष्य मे इस साक्षी द्वारा यह कहीं नही कहा गया है कि वह जिस समय मृतक घर से गया था उस समय वह वहां मौजूद था और उसे जाते हुए देखा था, न ही इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण मे से किसी को मृतक के साथ देखने की बात कहीं है और न ही घटना घटित होते देखने की बात कही है। इसलिए इतना स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है।

17. पी0डब्लू0–3 आदित्य गुप्ता ने दिनांक 15.07.2024 को न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान किया है कि यह घटना कब की है, उसे जानकारी नहीं है। अभियुक्त आशीष गुप्ता उर्फ अंशू, अभिनव मिश्रा के पश्चिम दिशा में उसके मकान के सामने कच्चे रास्ते के दक्षिण खाली प्लाट से कार स्विफ्ट डिजायर, जिसका नम्बर उसे नहीं पता है, को दरोगा जी ने उसके सामने फर्द बनाकर सीलमुहर नहीं किया और न ही उसे कोई फर्द पढ़कर सुनायी थी। दरोगा जी ने थाने पर बुलाकर उसके सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे।

18. पी0डब्लू0–4 डा0 प्रद्युम्न कुमार शुक्ला ने दिनांक 18.11.2024 को न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान किया है कि दिनॉक–01.05.2022 को उसकी पोस्टमार्टम ड्यूटी थी, उस दिन मृतक प्रबोध कुमार गुप्ता के शव को सील मुहर हालत में कॉ0 अनिल कुमार तिवारी व कॉ0 फिरोज खान पोस्टमार्टम हेतु लेकर आये थे व शव की शिनाख्त की थी। पोस्टमार्टम 05:00 पी0एम0 पर प्रारम्भ करके 05:30 पी0एम0 पर पूर्ण किया था। मृत्यु का सम्भावित समय लगभग एक दिवस था, मृत्यु का कारण शॉक एंड हैमरेज ऐज द रिजल्ट आफ एण्टीमार्टम इंजरीज था। शव पर निम्नलिखित चोटे पायी गयी थीः–

1-Incised wound 7cm x 1cm x Bone deep over top of head underline both parital bone found cut also membrane and brain found cut and 50 clotted and fluid blood present in cranial cavity.

2-L.W. 5cm x 2cm x bone deep over back of head underline occipital bone found fractured.

3-Incised wound 2cm x 1cm x bone deep over back of head, 2cm below injury No.2.

4-Incised wound 2cm x 0.5cm x bonedeep over right side back of head, 4cm behind right ear.

5-Abraded Contusion 25cm x 18cm over both side of face, forehead and head underline all facial bone and skull bone and both of

skull found fractured, membrane and brain found lacerated.

6-Abraded Contusion 40cm x 30cm over frond of chest and abdomen on dissection underline all ribes on both side are fractured Both plura, both lungs, peritorium, liver found lacerated and 1 liter clotted and fluid blood found in chest and abdomen cavity.

7-Abraded contusion 40cm x 1cm over right forearm, arm and elbow,

8-Abraded contusion 38cm x 30cm over back of chest and abdomen.

9-L.W. 3cm x 3cm bone deep over back of right elbow.

10-Incised wound 5cm x 1cm bone deep over right elbow underline frontal bone found cut.

11-Abraded contusion 4cm x 4cm over front of right knee.

12-Abraded contusion 6cm x 4cm over front of left knee.

शामिल पत्रावली शव विच्छेदन आख्या उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

19. पी0डब्लू0–5 ओमकार गुप्ता ने दिनांक 10.02.2025 को न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान किया है कि दिनॉक–04.05.2022 को पुलिस ने उसके सामने स्विफ्ट डिजायर कार रंग सफेद को बरामद नहीं किया था। साक्षी को शामिल पत्रावली फर्द कागज सं0–क6/3 दिखाया गया तो कहा इस पर हस्ताक्षर उसके हैं पुलिस ने सादे कागज पर थाने में हस्ताक्षर बनवा लिये थे। उसके सामने लिखा–पढ़ी उस कागज पर नहीं की थी।

20. पी0डब्लू0–6 इंसाफ अली निरीक्षक ने दिनांक 25.04.2025 को न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान किया है कि दिनॉक–01.05.2022 को वह थाना धौरहरा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था, उस दिन घटनास्थल ग्राम जटपुरवा के पास पक्का पुख्ता रोड पर उसने व क्राइम इंस्पेक्टर राजू राव तथा थानाध्यक्ष अयोध्या प्रकाश शुक्ला के साथ मौके पर पहुॅचे जहॉ पर मृतक के परिजन व गॉव के लोग मौजूद थे। उनमें से पॉच लोगों को पंच नियुक्त कर पंचनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की थी। पंचायतनामा 14:30 पी0एम0 पर प्रारम्भ कर 15:45 पी0एम0 पर पूर्ण किया था। शामिल पत्रावली मूल पंचायतनामा कागज सं0–क7/1 लगायत क7/2 उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। शामिल पत्रावली फोटोनाश, चालान लाश, चिट्ठी सी0एम0ओ0, चिट्ठी आर0आई0 व नमूना सील उसके लेख व

हस्ताक्षर में है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7 तथा प्रदर्श क–8 डाला गया।

21. पी0डब्लू0–7 उप निरीक्षक नरसिंह ने दिनांक 17.01.2026 को न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान किया है कि दिनॉक–01.05.2022, को वह थाना ध ौरहरा में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था, उस दिन वादी मुकदमा की हस्त लिखित तहरीर व प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश पर मुकदमा अ0सं0–230/2022 की चिक कम्प्यूटर ऑपरेटर कॉ0 अंकित कुमार से कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर अक्षरशः अंकित करायी थी, शामिल पत्रावली कम्प्यूटरीकृत मूल चिक जिस पर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर बने हुये हैं, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। जी0डी0 नं0–20 समय 14:24 बजे दिनॉकित 01.05.2022 की कायमी कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर आपरेटर से करायी गयी शामिल पत्रावली मूल जी0डी0 जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हुये है तथा थाने की मुहर लगी हुयी है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया है।

22. पी0डब्लू0–8 निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला ने दिनांक 09.02.2026 को न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान किया है कि दिनॉक–01.05.2022, को वह थाना धौरहरा में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। मु0अ0सं0 230/2022 की विवेचना उसे प्राप्त हुयी थी। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में विवेचना की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपने द्वारा किये जाने तथा फर्द कागज सं0 क6/2 को प्रदर्श क–11 के रूप में, नक्शा नजरी शव बरामदगी स्थल कागज सं0 क5/1 को प्रदर्श क–12 के रूप में, नक्शा नजरी घटनास्थल को कागज सं0–क5/2 को प्रदर्श क–13 के रूप में, फर्द बरामदगी स्विफ्ट डिजायर कागज सं0–क6/3 को प्रदर्श क–14 के रूप में तथा नक्शा नजरी कार बरामदगी स्थल कागज सं0–क5/3 को प्रदर्श क–15 के रूप में, फर्द बरामदगी कब्जा लेने रूपया कागज सं0–क6/4 को प्रदर्श क–16 के रूप में प्रमाणित किया है करते हुये उपरोक्त समस्त प्रपत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किए जाने का कथन किया है।

23– वर्तमान प्रकरण पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, क्योकि उपरोक्त तथ्यो के साक्ष्यो के साक्षियो मे से किसी के द्वारा यह देखना नही कहा गया है कि उनके द्वारा घटना कारित होते देखी गयी है।

24– पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–5 चारो के बयानो मे जरा सा भी इस तथ्य का कथन नही आया है कि उन्होने घटना कारित होते हुए अथवा अभियुक्तगण और मृतक को एक साथ देखा था। पी0

डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य मे कथन किया है कि महेवागंज के लोगो द्वारा जानकारी हुयी कि उसका भाई प्रबोध कुमार गुप्ता, आशीष कुमार गुप्ता के साथ कही रात मे जा रहा था, पी0डब्लू0–1 को किस व्यक्ति द्वारा यह जानकारी दी गयी कि मृतक, अभियुक्त आशीष कुमार गुप्ता के साथ रात मे कही जा रहा था, इसका कोई उल्लेख उसकी मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा मे नही आया है। पी0डब्लू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे अभियुक्त आशीष गुप्ता से मृतक की दुश्मनी होने का कथन पृष्ठ–6 पर किया गया है।

25– साक्षी पी0डब्लू0–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया गया है कि मृतक प्रबोध कुमार गुप्ता के सिर व शरीर पर काफी चोटें थी उनका शरीर खून से लथपथ था, पुलिस ने बताया था कि उसके चाचा प्रबोध कुमार गुप्ता की हत्या आशीष गुप्ता और उनके साढू अतुल गुप्ता, बहनोई दीपक गुप्ता व दो अन्य लोगो ने मिल कर की है। इस प्रकार इस साक्षी ने अनुसार अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या किए जाने की सूचना उसे पुलिस द्वारा दी गयी थी, जबकि इसके विपरीत तहरीर मे वादी ने यह उल्लिखित किया है कि हम लोगो को पता चला कि उसके भाई व आशीष गुप्ता से प्रापर्टी का विवाद चल रहा था, उसी विवाद के कारण आशीष गुप्ता ने अपने साथी उमेश मिश्रा, राजेश व एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर उसके घर के पास से पकड़ कर मार पीट कर हत्या करके लाश को जटपुरवा गांव के सामने सड़क पर फेंक दिया है।

26– प्रश्नगत मामले मे घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नही है मामले मे परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–5 ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है, उन्हे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा उनके अभियोजन द्वारा जिरह की गयी है परन्तु उनकी जिरह मे भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नही हुआ जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो, मामले मे मात्र पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 ही तथ्य के साक्षी है, जोकि घटना के चश्मदीद साक्षी नही है, अभियोजन द्वारा ऐसे किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है, जिनके समक्ष अभियुक्तगण द्वारा कोई एक्स्ट्रा जुडीशियल कन्फेसन किया गया हो, अभियोजन द्वारा ऐसा भी कोई साक्षी परीक्षित नही कराया गया है, जिसने मृतक व अभियुक्तगण को अंतिम बार साथ साथ जाते हुए देखा हो, मामले मे किसी प्रकार के आलाकत्ल की कोई बरामदगी नही हुयी है, न ही कोई एफ0एस0एल0 रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है।

27– पी0डब्लू0–8 विवेचक धर्म प्रकाश शुक्ला के बयान के अनुसार

उनके द्वारा साक्षी आदित्य गुप्ता व ओमकार का बयान केस डायरी मे अंकित किया गया जबकि उक्त साक्षी पी0डब्लू0–3 आदित्य गुप्ता व पी0डब्लू0–5 ओमकार गुप्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि विवेचक ने उनका बयान लिया ही नही था।

28– मामले में शेष सभी साक्षी औपचारिक है, जिन्होने विभिन्न प्रपत्रों को साबित किया है, केवल प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि विनिश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन को अपने पक्ष में साक्ष्य की एक ऐसी सुगठित श्रृंखला निर्मित करनी होती है, जो एक मात्र अभियुक्तगण की दोषिता का निष्कर्ष देता हो। यही नहीं उससे यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अभियुक्तगण के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा अपराध किए जाने की कोई संभावना मात्र भी विद्यमान नहीं है। उक्त साक्ष्य श्रृंखला में श्रृंखला की प्रत्येक कड़ियों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना भी अनिवार्य है।

29– **Sharad Birdhi chand sarda Vs. State of Maharashtra 1984 AIR 1622 S.C.** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के प्रस्तर 152 व 153 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में दोषसिद्धि की पॉच पूर्व शर्ते बतायी गयी है–

152. A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.

It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned 'must or should' and not 'may be' established. There is not only a grammatical but a legal distinction between 'may be proved' and 'must be or should be proved' as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade & Anr. v. State of Maharashtra (') where the following observations were made:

"Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the

mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions."

(2) The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say. they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

153. These five golden principles, if we may say so, constitute the panchsheel of the proof of a case based on circumstantial evidence.

30— अभियुक्तगण को घटना कारित करते हुए किसी के द्वारा देखा नहीं गया है। यहाॅ तक कि अंतिम बार मृतक के साथ भी उनको किसी साक्षी ने देखना नहीं कहा है। मात्र पुलिस से की गयी संस्वीकृति, जो कि धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अग्राह्य साक्ष्य है, के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि किया जाना सर्वथा उचित नहीं है।

31— अतः **Sharad Birdhi chand sarda** उपरोक्त के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त तथा उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण आशीष गुप्ता उर्फ अंशू, अतुल गुप्ता, दीपक गुप्ता उर्फ दीपू, उमेश मिश्रा, राजेश उर्फ रजनीकान्त तिवारी उर्फ पुस्सू के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहा है। इसलिए अभियुक्तगण आशीष गुप्ता उर्फ अंशू, अतुल गुप्ता व दीपक गुप्ता उर्फ दीपू के विरूद्ध आरोप अं0धारा 120बी सहपठित धारा—302 भा0द0सं0 व अभियुक्तगण उमेश मिश्रा, राजेश उर्फ रजनीकान्त तिवारी उर्फ पुस्सू के विरूद्ध लगाए गए आरोप अं0धारा 302 सहपठित धारा—34, 201 भा0द0सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

''आदेश''

अभियुक्तगण आशीष गुप्ता उर्फ अंशू, अतुल गुप्ता व दीपक गुप्ता उर्फ दीपू के विरूद्ध लगाए गए आरोप अं0धारा 120बी सहपठित धारा–302 भा0द0सं0 व अभियुक्तगण उमेश मिश्रा, राजेश उर्फ रजनीकान्त तिवारी उर्फ पुस्सू के विरूद्ध लगाए गए आरोप अं0धारा 302 सहपठित धारा–34, 201 भा0द0सं0 के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए, दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण विचारण के दौरान जमानत पर रहे हैं। उनके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभयुक्तगण प्रत्येक द्वारा धारा 481 बी0एन0एस0एस0 (437ए द0प्र0सं0) के अधीन मु0 50,000/–का बंधपत्र व समान राशि की एक–एक जमानते अविलम्ब प्रस्तुत की जावे जिनका दायित्व नियमानुसार विहित अवधि तक बना रहेगा।

मामले में वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो, दौरान मियाद अपील सुरक्षित रखा जाए तत्पश्चात् अपील न होने की दशा में नियमानुसार एवं अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित हो।

(शिव कुमार सिंह)
दिनांक : 12.06.2026
सत्र न्यायाधीश
लखीमपुर–खीरी।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(शिव कुमार सिंह)
दिनांक : 12.06.2026
सत्र न्यायाधीश
लखीमपुर–खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.12 15:29:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court